**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1223**

**16.08.2013 को दिया जाने वाला उत्‍तर**

**रेलगाडि़यों की क्षमता में वृद्धि करना**

**1223. श्री टी. एम. सेल्‍वागणपति:**

 क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्‍या रेलवे ने उन सभी रेलगाडि़यों की क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिनमें सीट और बर्थ की मांग बहुत ज्‍यादा है;
2. क्‍या यह सच है कि प्रत्‍येक रेलगाड़ी में दो अतिरिक्‍त डिब्‍बे, विशेषकर वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के डिब्‍बे लगाए जाएंगे ताकि राजस्‍व में वृद्धि हो;
3. क्‍या यह भी सच है कि रेलवे ने लंबी दूरी की लोकप्रिय रेलगाडि़यों में मरम्‍मत किए गए डिब्‍बे प्रयोग में ला रही है जिससे यात्रियों को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के डिब्‍बों में यात्रा करने में भी तकलीफदेह हो रही है; और
4. आज की तारीख के अनुसार रेलवे ने उपरोक्‍त पर क्‍या कार्रवाई की है?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री कोटला जय सूर्य प्रकाश रेड्डी)**

(क) मांगों को पूरा करने के लिए परिचालनिक व्‍यवहार्यता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता और संसाधनों की उपलब्‍धता के अनुसार गाडि़यों का संवर्धन करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) मांग की उपलब्‍धता और परिचालनिक व्‍यवहार्यता के अनुसार गाडि़यों में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के कोचों के साथ-साथ अतिरिक्‍त कोचों को जोड़ना एक सतत् प्रक्रिया है। 01.04.2013 से 30.06.2013 की अवधि के दौरान 258 कोचों का उपयोग करके स्‍थायी तौर पर अनेक गाडि़यों में कोचों की संख्‍या में वृद्धि की गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारतीय रेलों पर यात्री सेवाओं में निर्धारित जीवट आयु वाले सवारी डिब्‍बों का उपयोग किया जाता है। बहरहाल, सवारी डिब्‍बों को कभी-कभी उनकी निर्धारित जीवट आयु प्राप्‍त करने से पहले भी आयु एवं हालत के आधार पर बदल दिया जाता है।

\*\*\*\*\*